कार्यालय कमाण्डेंट

राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

क्रमांकः SDRF/Q/2023/778-782 दिनांक 18.8.2023

ई–बोली आमंत्रण सूचना –02/2023

विभिन्न वस्तुओ के प्रदाय (supply) हेतु ई–बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 21.8.2023 को प्रातः 11.00 बजे से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan. gov.in से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा। ई–बोली दिनांक 9.9.2023 को साय 06.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर प्रस्तुत की जा सकेगी तथा दिनांक 11.9.2023 को दोपहर 1.00 पी.एम तक चालान या बैंकर चैक या डीडी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है। ई–बिड की क्वालिफाईड बिड दिनांक .. 11.9.2023 को दोपहरः 03.00 खोली जानी प्रस्तावित है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है:–

1. ई–ग्रास पोर्टल पर ई–चालान हेतु Office Name State Disaster Response Force, Raj. Jaipur का चयन करें।
2. बोली प्रपत्र शुल्क निर्धारत राजस्व मद 0075-00-800-52-01 में एवं बोली प्रतिभूति राशि बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा की जायेगी तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विस लि. की प्रोसेसिंग फीस (For RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-(01) में ई–चालान के द्वारा जमा की जायेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http://www.police.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है:–

क्रं. सं.	वस्तु/उपकरण का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत	बोली प्रतिभूति राशि (2 प्रतिशत)	प्रोसेसिंग शुल्क	बोली प्रपत्र शुल्क	सप्लाई अवधि (दिनों में)
(A) राज्य आपदा मोचन निधि पुनर्वैधित राशि Budget Head 2245-01-800-03-04(18) **53318992/–**							
1	Video Camera HD	8	920000	18400	500	200	60 दिन
2	Rubber Boat Repairing Kit	62	285200	5704	500	200	60 दिन
3	Plastic Rope (Cotton)	2000mtr	200000	4000	500	200	60 दिन
4	Mini Bus	8	18320000	366400	2000	400	90 दिन
5	Mini Truck	8	15640000	312800	2000	400	90 दिन
	Total -A		**35365200/–**	**707304/–**			
(B) राज्य आपदा मोचन निधि पुनर्वैधित राशि Budget Head 2245-01-800-03-04 (18) **19489945/-**							
6	Safety Cone With Tape	185	781625	15632	500	200	60 दिन

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

7	NBC First Aid Kit Type-A	8	368000	7360	500	200	60 दिन
8	Telescopic Ladder 35 Ft.	8	1720000	34400	500	400	60 दिन
9	Mpd 13mm Red	8	1084000	21680	500	400	60 दिन
10	Extension Cord System 8 MM Dia 100 Metres Long	16	288000	5760	500	200	60 दिन
11	Hand Held Detector	6	13200000	264000	2000	400	60 दिन
12	Personal Decontamination kit	24	40320	806	500	200	60 दिन
13	MFR Box Medium	8	84000	1680	500	200	60 दिन
	Total -B		**17565945/–**	**351318/–**			60 दिन
	Grand Total (A+B)		**52931145/–**	**1058622/–**			

नोटः–

01. बजट की उपलब्धता के अनुरूप उपरोक्त उपकरणों की संख्या में कमी या वृद्वि की जा सकती है।
02. उक्त आईटम का 1 नग सील्ड सैम्पल प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। आईटम का विभाग द्वारा चाहे जाने पर डेमॉन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा।
03. सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
04. इस निविदा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी राजस्थान पुलिस की विभागीय वैबसाईट http://www.police.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखी जा सकती है एवं इस कार्यालय के फोन नम्बर 0141–2759903 तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सायः 06:00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान जयुपर।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल सत्यमेव जयते जयपुर

कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय का नाम	राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान, गाडोता, जयपुर
अनुमानित मात्रा/संख्या	संलग्न बोली आमंत्रण सूचना अनुसार।
कुल अनुमानित कीमत	**52931145**/–
बोली प्रतिभूति राशि	**1058622**/–
सप्लाई अवधि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि	बोली आमंत्रण सूचना अनुसार
बोली खुलने की तिथि	11.9.2023 (दोपहर 03:00 बजे)

संलग्नः–बोली आमंत्रण सूचना संख्या :– **02** दिनांक 21.8.2023

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

(bid) की मुख्य शर्तें :–

The Rajasthan Transparency in Public Proocurment Act, 2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Public Proocurment Rule 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Proocurment Portal http:/sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. if there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this bidding document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. शुल्क (fee)–

(अ) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Document, Processing Fees & Bid Security Fees) शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसार निम्नानुसार दी जायेगी।

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	किसके पक्ष में (In favour of)
बोली प्रपत्र शुल्क	रू. 10 लाख तक रू. 200 रू.10.00 लाख से अधिक रु. 400	कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान, जयपुर
प्रोसेसिंग फीस	रू. 50.00 लाख तक रु. 500	एम.डी, आर.आई.एस.एल (MD RISL)
	रू.50.00 लाख से 1 करोड़ तक रु.1500	
	1 करोड़ से अधिक रू. 2000	
बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	बोली की कुल अनुमानित राशि का 2: बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार	कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान, जयपुर

(ब) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रकिया दी गई है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि तथा चाहे जाने पर संबंधित वस्तु के सैम्पल के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

(स) ई–ग्रास पोर्टल पर ई–चालान हेतु Office Name State Disaster Response Force, Raj. Jaipur का चयन करें।

(द) बोली प्रपत्र शुल्क निर्धारत राजस्व मद 0075-00-800-52-01 में एवं बोली प्रतिभूति राशि बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा की जायेगी तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विस लि. की प्रोसेसिंग फीस (For RISL) बजट मद 8658-00-102-(16)-(01) में ई–चालान के द्वारा जमा की जायेगी।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

2. **पात्रता (eligibility)-**

(i)बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई–बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II O Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाऐंगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

(iii)भारत सरकार गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण विभाग के पत्र दिनांक 25.02.2022 की बोलीदाता को पालना करना अनिवार्य होगा, जिसमें Director General of Foreign Trade (DGFT) द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित/ निषेशाध्यक (Retricted/Negative) उपाप्त आईटम वर्णित है । जिनके लिए DGFT से NOC लिया जाना वांछित है।

3. **अनुभव (experience)-**

(V) बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम या इस तरह के आईटमों का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में विगत तीन वर्षों में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25% राशि के आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य संपादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत पांच वर्षों में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के पांच गुना राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैंलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत पांच वर्षों में से कम से कम किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम दस गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर द्वारा फर्म का बैंकिंग व्यवहार व खाते में संतोषजनक लेनदेन होने की पुष्टि ऑनलाईन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

4. **<u>सैम्पल (sample)-</u>**

(i) जिन आईटमों के सैम्पल चाहे गये हैं उनके बोलीदाता द्वारा बोली के साथ एक नग/जोड़ा/सैट सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।

(iii) विभागीय उपापन (procurement) समिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जॉच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जॉच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जॉच शुल्क राशि काट ली जाएगी।

5. **<u>दस्तावेज (document)–</u>**

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं GSTR/ GSTR चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii)समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii)बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमाकराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv)बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे।इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

6. **<u>वैधता (validity)–</u>** बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

7. **<u>अन्य शर्त (other condition)–</u>**

(i) उपरोक्तांकित शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं ई तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ii) बोलीदाता को बोली के साथ भारत/राजस्थान में स्थित अपने सर्विस सेन्टरों की सूचना भी स्कैन कर उपलब्ध करवानी होगी।

(iii) निर्माता फर्म का भारत में कार्यालय होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा।

(iv) ई–निविदा में ऑनलाईन स्कैन कर उपलब्ध करवाये गए दस्तावेज ही स्वीकार्य होंगे। भौतिक रूप से बाद में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। RTPP Rules के अनुसार बोली कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

(v) प्राधिकृत डीलर के रूप में प्रस्तुत करने पर बोलीदाता फर्म को निर्माता फर्म का आईटम निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

8. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षणः—**

(i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।

(ii) उक्त उधमियों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि कुल बोली राशि का 2: निर्धारित तरिके से जमा करानी होगी विभाग जो राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी कम्पनीज/ऐसी कम्पनीज या संस्था जो राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हो, उनसे बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर घोषणा पत्र लिया जायेगा। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई (राशि निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। लघु उधोग इकाई के अलावा अन्य बीमार उधोग के लिए बोली प्रतिभूति राशि कुल बोली राशि का 1: होगी ।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50: राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र श्ठश के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन (Procurement) हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं कय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM-II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रकिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

9. **सामान्य सूचना (General information)–**

(i) यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन (procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम–66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान की जावेगी।

(ii) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन (procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit) लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन (procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रकिया में भाग लेने सेए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(iii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद भी विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Puplic Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(v) विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टैलीजेंस) राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकेंगें।

(vi) सम्पूर्ण बोली प्रकिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिरीक्षक पुलिस, (इन्टैलीजेंस) राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टैलीजेंस) राजस्थान जयपुर होंगे।

आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले उपकरणों/आईटमो की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त ड्रोप (Drop) भी की जा सकेगी।

(ix) सप्लाई किये गये उपकरणों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इंस्टालेशन/स्थापित निशुल्क किया जाना आवश्यक है।

(x) बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-

कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, गाडोता, जयपुर
ई-मेलः-**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**
दूरभाष न0 0141-2759903

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

(बोली प्रपत्र–क्वालीफाईग बिड) –

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः   दिनांक–

(i) .... के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–..
का नाम, डाक का पूर्ण पता, ...
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल ....

(III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है:–कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान, जयपुर ।

(IV) सन्दर्भ :–बोली आमंत्रण सूचना संख्या:–...............................
दिनांक .... जो ....(समाचार पत्र का नाम) दिनांक ....में प्रकाशित हुई है ।

(V) कुल राशि ....
विवरण (1) टेण्डर फीस .... या ई बोली के चालान संख्या ....दिनांक .... (2) प्रोसेसिंग फीस.....................(3) बोली प्रतिभूति राशि ....

(VI) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या ....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा परिशिष्ट "इ" में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट "स" तथा परिशिष्ट "इ" के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तो का स्वीकार किय जाने के प्रमाण–स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न हैं।

(VII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

(VIII) हम सम्पुष्टि (confirm) करते है कि "प्राईजबिड" में अंकित की गई दरें "बोली की वैधता–प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक तक मान्य होगी।

(IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईजबिड" में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट "इ" में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं ।

(X) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या..................है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।

(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	हां / नहीं	जारी दिनांक / वैधता दिनांक
1	ई–बोली के लिए बोली प्रपत्र शुल्क ....प्रोसेसिंग फीस............ एक ही ई–ग्रास चालान संख्या .... दिनांक...................राशि .... या नॉन ई–बोली हेतु –		
2	बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक / डीडीनं............दिनांक.........राशि.......		
3	प्रोसेसिंग फीस बैंकर चैक / डीडीन ....दिनांक............राशि.........		
4	बोली प्रतिभूति राशि		
5	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र		
6	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)		
7	अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)		
8	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
9	जीएसटी रिटर्न एवं जीएसटी चालान की स्कैन प्रति		
10	उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उधोग आधार की स्कैन प्रति		
11	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 10 के तहत प्रपत्र 'अ'		
12	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 11 के तहत प्रपत्र 'ब' में शपथ पत्र		
13	मूल निर्माता का आईटम निर्माण संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र		
14	चाहे जाने पर ISO प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति		
15	बोली दाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र		
16	आईटम का सील्ड सैम्पल .... नग		
17	प्राधिकृत डीलर व एजेन्ट द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में (i) निर्माता द्वारा जारी प्राधिकृत डीलर का प्रमाण पत्र		
	(ii) निर्माता का जी एस टी पंजीयन प्रमाण पत्र		
	(iii) निर्माता का आईटम निर्माण संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र		
18	बोली दाता फर्म नवीन होने पर बैंकर का परिचय पत्र बोली में अंकितानुसार		
19	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार		
20	पैन नम्बर (छाया प्रति भी स्कैन करे)		
21	वार्षिक टर्नओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज		

राज्य आपदा प्रतिसाद बल सत्यमेव जयते जयपुर

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है ।

(XIV) हमारे द्वारा निविदा दत्त वस्तुओं का एक सीलड सैम्पल निविदा में अंकितानुसार दिनांक एवं समय तक कार्यालय राज्य आपदा प्रतिसाद बल, गाडोता, जयपुर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जमा करवा दिये जायेंगे।

(XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा प्राईज बिड ई–बोली में निर्धारित प्रक्रिया से आवेदित की गई है।

नोट :–

1. क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नही उसके सम्मुख 'Yes' or 'No' दस्तावेज जारी होने की तिथि (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उतरदायित्व बोली दाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. बोली भरने की प्रक्रिया :–

(ए) परिशिष्ट ''अ'' क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' ''द'' एवं ''इ'' तथा अनुलग्नक अ,ब,स, में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित आइटम के परिशिष्ट–इ में अंकितानुसार स्पैसिफिकेशन के सैम्पल कपड़े में सील करके हस्ताक्षर शुदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।

(बी) परिशिष्ट ''ब'' प्राईस बिड है उसे ई–बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। योग्य बोली दाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
सत्यमेव जयते
जयपुर

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट ''ब''

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांकः   दिनांक :–

1. .... के लिए बोली
   (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–..
   का नाम, डाक का पूर्ण पता, ...दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी :–.................................
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :– **कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान, गाडोता, जयपुर**
4. सन्दर्भ :–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः–....................................
   दिनांक .... जो ....
   (समाचार जर्नल का नाम) दिनांक ....में प्रकाशित हुई है।
5. निम्नलिखित वस्तु के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगीः–

   (क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वस्तु का नाम :–..
   (ख) मात्रा :–..
   (ग) राज्य आपदा प्रतिसाद बल, गाडोता, जयपुर निम्नानुसार अंकित करे :–

   (i) दरें –(प्रति नग/प्रति सैट) :–
   अंको में ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावे।
   शब्दो में ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावे।
   (ii) विभिन्न कर :–As applicable at the time of supply.
   ई–टेण्डरिंग के निर्धारित फॉरमेट (BOQ) में ही दी जावे।

नोटः–

(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि(Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे ।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसेः– 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

(iii) वस्तुओं की दरों हेतुः–

(अ) यदि किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

(ब) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता के कपडों का रंग अलग–अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग–अलग दी जाती हैं तो बोली अमान्य कर दी जाएगी।

6. जीएसटी में यदि कोई रियायत उपलब्ध है अथवा चाही गई हो तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राईस बिड के साथ संलग्न करें ।

7. बोली भरने की प्रक्रियाः–

ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना परिशिष्ट–अ में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट–''स''

बोली आमंत्रण सूचना कमांक ....

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रकियाः–बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।

2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :–

(अ) निर्माता द्वारा बोलियांः–

(i) सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) एवं निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उघोग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षणः–

(i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।

(ii) उक्त उधमियों कोराजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलीओं के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि कुल बोली का 2% निर्धारित तरिके से जमा करानी होगी विभाग राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी कम्पनीज/ऐसी कम्पनीज या संस्था जो राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हो,

उनसे बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर घोषणा पत्र लिया जायेगा। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II) प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि लघु उधोग इकाई के अलावा बीमार उधोग के लिए बोली प्रतिभूति राशि के कुल बोली राशि का 1% होगी उक्त के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM II) एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफ़िकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रकिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस कम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना उप महानिरीक्षक पुलिस इन्टैलीजेंस राजस्थान जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में उप महानिरीक्षक पुलिस इन्टैलीजेंस राजस्थान जयपुर को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return)व चालान की प्रति :–

(i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7 दरें :–

(i) बोली में दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि(Errors)एवं उपरिलेखन (Overwriting)नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

(ii) बोली मूल्यांकनसमिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

निविदा प्रतिसाद बोर्ड जयपुर

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।
ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(i) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे । अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(ii) बोली में दरें परिशिष्ट "इ" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट 'इ" में अंकित परिसरों पर दी जाऐगी ।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे ।

(iv) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(v) सप्लाई द्वारा माल प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, माल को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र तत्सम्बंधी भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(vi) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(vii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।

(viii) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी । बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(ix) किसी वस्तु की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी ।

8. <u>दरों की तुलना:-</u>

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी

आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

को दरों में शामिल नही करने एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शमिल करने सम्बन्धी प्रकिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगो द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत कय वरीयता दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर कय अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी ।

9. बातचीत (Negotiation) :–

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. बोली की विधि मान्यता:–

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन उप महानिरीक्षक पुलिस इन्टैलीजेंस राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा।

13 स्पेसिफिकेशन:–

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुऍ बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/ सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

स्पेसिफिकेशन के संबंध में अति.महानिदेशक पुलिस, इन्टैलीजेंस, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा । अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति,कमी,घाटा,नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14. सैम्पलः—

(i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ मांगे जा रहे वस्तुओं के सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपडे में सील कर प्रस्तुत किए जावेंगे एवं वस्तुओं के सैम्पल की विभागीय उपापन समिति द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी राजकीय/सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रयोगशाला से जांच करवाई जा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जांच पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल की जांच के उपरान्त जांच पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता जांच शुल्क की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से जांच शुल्क की राशि काट ली जावेगी।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा उसमें बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा ।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही की जावेगी संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नही किये जाते है तो विभाग द्वारा इनका समपहरण

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नही किया जावेगा ।

(v) असफल बोलीदाताओ द्वारा अनुमोदित नही किये गए सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति राशि, विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जावेंगे। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नही लिये जावेगे विभाग द्वारा उनका समपहरण किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नही किया जावेगा।

15 निरीक्षण एवं परीक्षण :–

(i) (A) अति. महानिदेशक पुलिस इन्टैलीजेंस या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।

(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

(iii) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभार :–बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) निरीक्षण प्रभारः–विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):–निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

16. माल की सप्लाई :—

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके । माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा । इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी ।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाऐगा ।

17. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी

18. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट–'अ', 'ई' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा ।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्वि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्सटालेशन किया जाना है वहॉ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेंगे।

19. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियॉ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

20. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः–

सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त क्रय की जावेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लागाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर उचित/स्पष्ट (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

21. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :–

(i) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

(ii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iii) बोली आमंत्रण (e-bid) में अंकित प्रत्येक उपाप्त आईटम/वस्तु हेतु अलग से बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जावेगी ।

(iv) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):– बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क)जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख)जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग)जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ)जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड.)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

22. करार एवं सुरक्षा राशि (Agreement and Performance Security):–

(अ) बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।

(प) करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नांकितानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा:–

1. राशि रूपये 10.00 लाख तक	रूपये 500/–
2. राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50.00 लाख तक	रूपये 1000/–
3. राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक	रूपये 5000/–

(स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:–

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति:–कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75A के प्रावधान प्रस्तुत बोली में प्रभावी होंगे। उक्त वर्णित नियम के अनुसार बोली की निर्धारित

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

कार्यसम्पादन प्रतिभूति के साथ असंतुलित बोली की दशा में अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति असंतुलित राशि का 50% करार से पूर्व सफल बोलीदाता को एकमुश्त जमा करानी होगी। अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराई जा सकती है।

स्पष्टीकरणः–इस नियम के उपयोग हेतुः–

(a) असंतुलित बोली से तात्पर्य कोई भी बोली जो अनुमानित बोली राशि से 15% से अधिक कम हो।

(b) अनुमानित बोली राशि से तात्पर्य है जो बोली प्रपत्र में उल्लेखित है।

(c) असंतुलित राशि–अनुमानित मूल्य का 85% बोलीदाता द्वारा बोली में उद्वत राशि का धनात्मक अन्तर। अतिरिक्त कार्यसम्पादन प्रतिभूति करार के संतोषजनक पूर्ण होने पर वापसी योग्य होगी।

(iii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उ़धोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए होंतो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(iv) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उधोगों के लिए 0.25% के बराबर सम्पादन प्रतिभूति राशि होगी जबकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर होगी।

(v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(vii) सुरक्षा राशि कमाण्डेंट, एसडीआरएफ, राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगीः–

A) ई–ग्रास चालान बजट मद 8443-00-103-00-00 मे जमा की जावें।
B) "इ.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
C) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,
D) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
E) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटिया जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
F) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

G) खण्ड C से F के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

1. अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदिप्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(viii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(ix) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):– सुरक्षा राशि का निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(घ) राजस्थान सरकार के वित्त(G&T) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.05.2022 अनुसार बिन्दु सं. 7 (Performance Secuity) के forfeiture of Performance security के उप बिन्दु 3 की शर्तो की पालना किया जाना वांछित है जो निम्नानुसार है :–

If in the judgement of the Procuring Entity the bidder with beneficial ownership from countries sharing land border with India as per Rule 13 of RTPP Rules and Government of Rajasthan Notification No. F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 01.01.2021, 15.01.2021 and 30.03.2021, for participation in any public procurement in the State, who can only be allowed after prior registration with the competent authority has not complied with the requirement. The procuring Entity shall give Notice of reasonable time in case of forfeiture of performance Security and the decision of the procuring Entity shall be final.

(x) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

(xi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(xii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए ।

23. बीमाः–

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. भुगतानः–

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किय गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाऍगे ।

(iii) विवादस्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) परिनिर्धारित क्षति(Liquidated Damages):–

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–**2.5%**

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक –**5%**
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो केताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

<u>नोटः</u> प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी ।

25 <u>वसूलियाँः</u>—परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

26. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वंय की व्यवस्था करनी होगी ।

27. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नही की जाएंगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

28. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

29. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

30. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

31. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी ।

32. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
सत्यमेव जयते
जयपुर

33. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन समिति द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

34. उल्लेखित उपकरणों का डेमोंस्ट्रेशन/प्रेजेन्टेशन बोली खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म द्वारा आवश्यक रूप से करनी होगी।

35. बोली मे दर्शित प्रत्येक वस्तु की दर मय एक्सेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।

36. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर दी जावे तथा दर प्रति नग दी जावे यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।

37. उपकरण/वस्तु के संबंध में तकनीकी विवरण से संबंधित पूर्ण दस्तावेज स्केन करके ई–बोली के साथ दिये जावे।

38. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।

39. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जायेगा तथा निरीक्षण में माल सही पाये जाने पर निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जायेगा। यदि माल सही नहीं पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

40. अन्य समस्त दस्तावेज जो बोलीदाता बोली के साथ उचित समझे, स्केन करके ई–बोली के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट ''द''

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/ थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of ………………………………………………… We hereby certify that M/S Name)……………………………………………………. of (Address) ………………………………………………………………… is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Supply to the Government. He is authorized to participate in the Bid Notice No………………………..Dtd…………………We hereby undertake to supply the material through him as desired.

(………………………………..)

Name …………………………

Signature Attested

Signature of Manufacturer

Name ……………………

Designation………………

Seal of Manufacturer

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to ………………… for procurement of …………………. in response to the Notice Inviting Bid No………….. Dated ……………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is __________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is __________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i) hear all the parties to appeal present before him and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No.......... of............

Before the .... (First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against
   and name and designation of the officer/ authority
   who passed the order (enclose a copy), or a statement
   of a decision, action or omission of the Procuring Entity
   in contravention to the provisions of the Act by which
   the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented
   by a representative, the name and postal address
   of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer
   :...
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 1 पर अंकित आईटम **Video camera HD with accessories** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें :–

Video camera HD with accessories :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 08 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :– 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– **Video camera HD with accessories** हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Video camera HD with accessories

Qualitative Requirements	BIS Code No.	Picture of Equipment
High-definition resolution	1920x 1080i	
High-definition video codec	MPEG-4	
Standard definition recording	MPEG-2	
Memory storage	120 GB	
Zoom	Optical 24 X, Digital 70 X	
Image sensor	½." BISMOS Sensor	
Filter Diameter	60 mm and above	
LCD	3 inch and above With touch panel	
Photo mode resolution	25 Mega Pixel minimum	
Features	Face detection (Photo and video super night shoot face index,Memory card slot, HDMI Terminal, USB Terminal, Flash, Surround sound 5.1 4k mode	
Weight with Accessories, tape etc	Approx. 500 Gms	
Essential accessories	AC adaptor, Rechargeable Battery Pack Battery Charger-01, USB cable-01,HDMI cable With wireless mic double, camera tripod Stand and carry bag.	

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 2 पर अंकित आईटम **RUBBER BOAT REPAIRING KIT** :- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

RUBBER BOAT REPAIRING KIT :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 62 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :– 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– **RUBBER BOAT REPAIRING KIT** हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

RUBBER BOAT REPAIRING KIT

1. Patches Colour: Orange
2. Patches :- 10 nos.
3. Material: Durable 21-gauge PVC Patches
4. Size(L&W):20 x 10 cm
5. Valve Wrench Length: 12 cm
6. Container/ Carry bag
7. Glue tube of 30 to 40 grams-10 nos.

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 3 पर अंकित आईटम **PLASTIC ROPE (COTTON)** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

PLASTIC ROPE (COTTON):– के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 2000 मीटर

(ग) कुल सप्लाई अवधि :– 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– **PLASTIC ROPE (COTTON)** हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

PLASTIC ROPE (COTTON)

1. Features and Applications

1. High strength at lower weights
2. Highly resistant to acids and alkalis
3. Floats in water, does not absorb water
4. Low elongation
5. High abrasion resistance due to special construction
6. Better knot ability

2. 1 Coil X 10 nos.
3. ColourYellow
4. Thickness 16 mm and above.

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 4 पर अंकित आईटम **Mini Bus:-** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Mini Bus :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा,स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–
(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।
(ख) मात्रा :– 08 नग
(ग) कुल सप्लाई अवधि :–90 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशन :–Mini Bus हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Mini Bus

1	Vehicle Seating Capacity (Nos.)	18 as per layout
2	Type of Fuel	Diesel
3	Vehicle Emission Compliance	BS-VI Phase - 2
4	Colour of the Vehicle	Orange
5	Vehicle Colour Type	Solid
6	Top Speed (Kmph)	80 or Better
7	Engine (Hp@rpm)	120-125 HP
8	Engine Torque Max @rpm (N-m@rpm	350 Nm@1400-2400
9	No. of Cylinder in Engine (Nos.)	4
10	Type of Vehicle Body	Bus on Chassis Frame
11	No. of Doors (Nos.)	2(Driver side & Left side of bus)
12	Fuel Tank Capacity (Ltrs.)	90-120 litre
13	Length of Vehicle Body (mm)	7150-7200 mm
14	Width of Vehicle Body (mm)	2200-2350 mm
15	Height of Vehicle Body (mm)	2900-2925 mm
16	Wheel Base (mm)	3600-3650 mm
17	Kerb Weight (kg)	4900-4950 kg
18	Gross Vehicle Weight (kg)	7000-7100 kg
19	Size of Tyre (mm)	215/5R 17.5 (four wheeler + Stepney)
20	Vehicle Transmission System	Manual
21	No. of Speed/Forward Gears (Nos.)	5

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

22	Type of Wheel drive	Two Wheel Drive (Rear Wheel)
23	Drive Axle	Rear
24	Type of Steering	power
25	Vehicle Brake ABS Fitted	Yes
26	Front Vehicle Brake	Drum Brake
27	Rear Vehicle Brake	Drum Brake
28	Vehicle Air Intake System	Turbo Charged
29	Speed Governor with valid certification	YES
30	Low Fuel warning Light	YES
31	Battery Warranty (Month)	12 Month
32	Warranty Time (Month)	36 Month
33	No. of Free Service	Minimum3
34	OEM authorized service centre at Divisional HQ.	YES

General requirement and fabrication

1	Flooring	Made out from ISI Marked 12 mm thick BWR grade plywood covered with vinyl/ Aluminium sheet
2	Seating Plan (Long)	2X2
3	Top portion of fixed glass window & bottom portion in two halves in sliding pattern	Yes
4	Passenger Compartment-Roof Light	Yes
5	Over Head Storage Railing	Yes
6	Hand Rail, Hanging Hook	Yes
7	Fire Extinguisher suitable for bus	Yes
8	Vehicle Required for Rescue Work	Yes
9	Fan at each pillar and also mobile charger plug	Yes
10	Side Rack for rescue Equipment (3x2.5 Ft.), Hook, buckle strip for OBM Stand behind the driver seat and a round platform for oxygen cylinder(at suitable height) Full size rack in place of Rear last five seat.	Yes
11	Department Branding LOGO at Front, and Rear side Both side of bus Name of department (State Disaster Response Force Rajasthan)	Yes
12	Vehicle Mileage (Declared by OEM as certified by Latest Agency under Rule 115 of CMVR 1989)	10 Or Better
13	Successful Bidder should get approval of the drawing and prototype of vehicle before supply	YES
14	Bidder should make sure dimension of equipment before making of above fabrication	YES

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

BUS LAYOUT

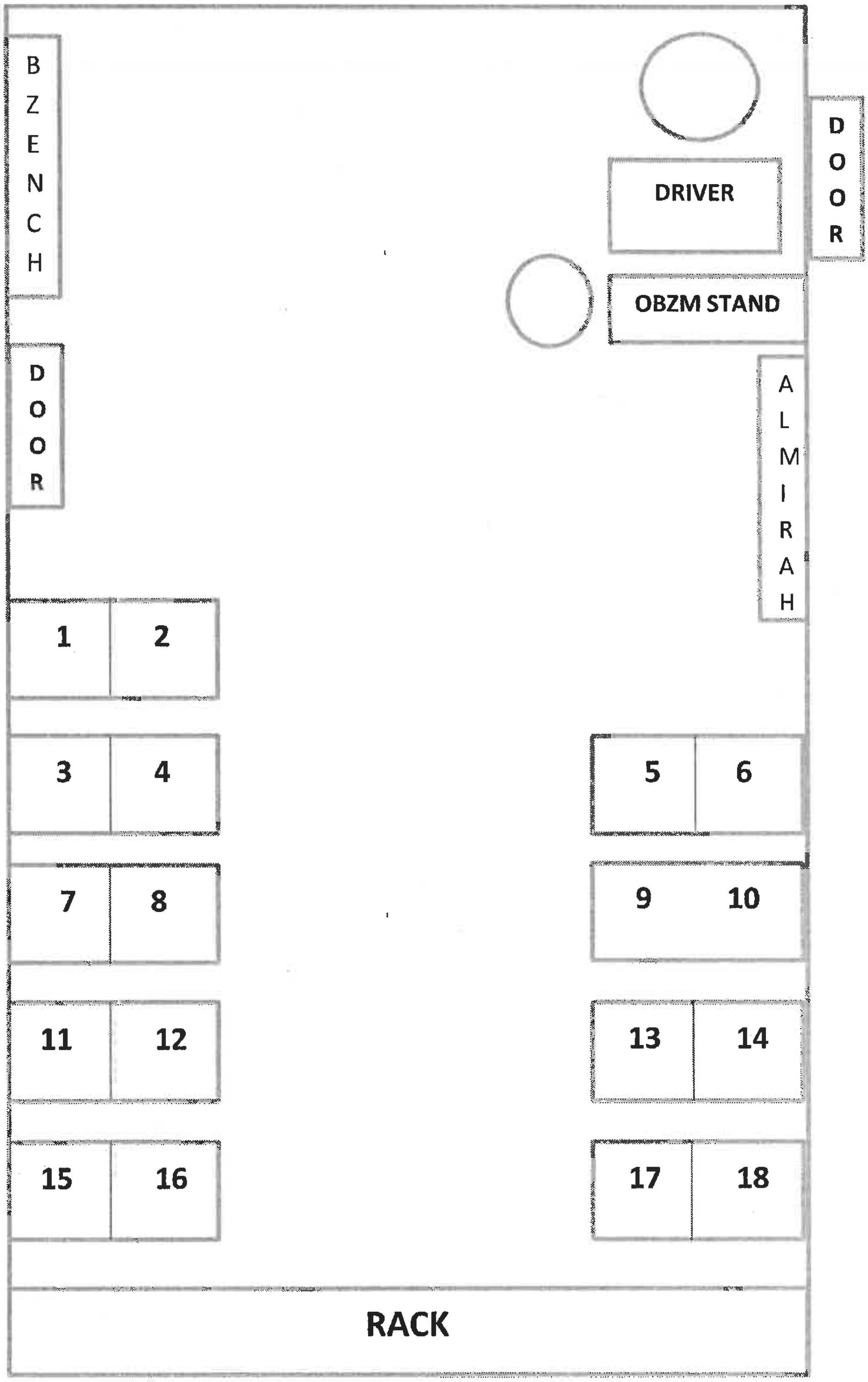

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 5 पर अंकित आईटम **MiniTruck:-** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

MiniTruck :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा,स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 08 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–90 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :–MiniTruck हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

1	Type of Fuel	Diesel
2	Vehicle Emission Compliance	BS-VI Phase-2
3	Colour of the Vehicle	Orange
4	Vehicle Colour Type	Solid
5	Top Speed (Kmph)	80 or Better
6	Engine (Hp@rpm)	120-125 HP
7	Engine Torque Max @rpm N-m@rpm	360 Nm@1400-1800 rpm
8	No. of Cylinder in Engine (Nos.)	4
9	Type of Vehicle Body	Chassis Frame
10	No. of Doors (Nos.)	2 Door for Driver compartment and Back Double Door of wire mesh)
11	Fuel Tank Capacity (Ltrs.)	90-120 litre
12	Length of Vehicle Body (mm)	7250-7300 mm
13	Width of Vehicle Body (mm)	2150-2200 mm
14	Height of Vehicle Body (mm)	2400-2900 mm
15	Wheel Base (mm)	3900-3950 mm
16	Gross Vehicle Weight (kg)	7400-7500 kg
17	Size of Tyre (mm)	750x16-16 PR (6 wheel + Stepney)
18	Vehicle Transmission System	Manual
19	No. of Speed/Forward Gears (Nos.)	5
20	Type of Wheel drive	Two Wheel Drive (Rear Wheel)
21	Drive Axle	Rear
22	Type of Steering	Power
23	Vehicle Brake ABS Fitted	air S cam
24	Front Vehicle Brake	Drum Brake
25	Rear Vehicle Brake	Drum Brake

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

26	Speed Governor with valid certification	Yes
27	Low Fuel warning Light	Yes
28	OEM authorized service centre at Divisional HQ.	YES
29	Seating capacity of cabin Driver + 2	YES

General requirement and fabrication		
1	Battery Warranty (Month)	12 Month
2	Warranty Time (Month)	36 Month
3	No. of Free Service	Minimum 3
4	Body Specification	Soft Top Troop Carrier (cover by canopy)
5	Passenger Compartment-Roof Light, Hand Rail, Hanging Hook	Yes
6	Fire Extinguisher	Yes
7	Vehicle Required for Rescue Work	Yes
8	Fix rack with lock & key at back side of driver cabin	Yes
9	Rear Both Side of truck Bench Seating with back rest at least 14 person, Rack for rescue Equipment (3x2.5 Ft.), Hook, buckle strip for OBM Stand behind the driver cabin and a round platform for oxygen cylinder(at suitable height)	Yes
10	Back Side Wire-mesh Gate	Yes
11	Foot Step Rear Side	Yes
12	Department Branding LOGO at Front & Rear side and Both side of Truck Name of department (State Disaster Response Force Rajasthan)	Yes
13	Vehicle Mileage (Declared by OEM as certified by Latest Agency under Rule 115 of CMVR 1989)	09 OR Better
14	Successful Bidder should get approval of the drawing and prototype of vehicle before supply	YES
15	Bidder should make sure dimension of equipment before making of above fabrication	YES

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

SOFT TOP TROOP CARRIER LAYOUT

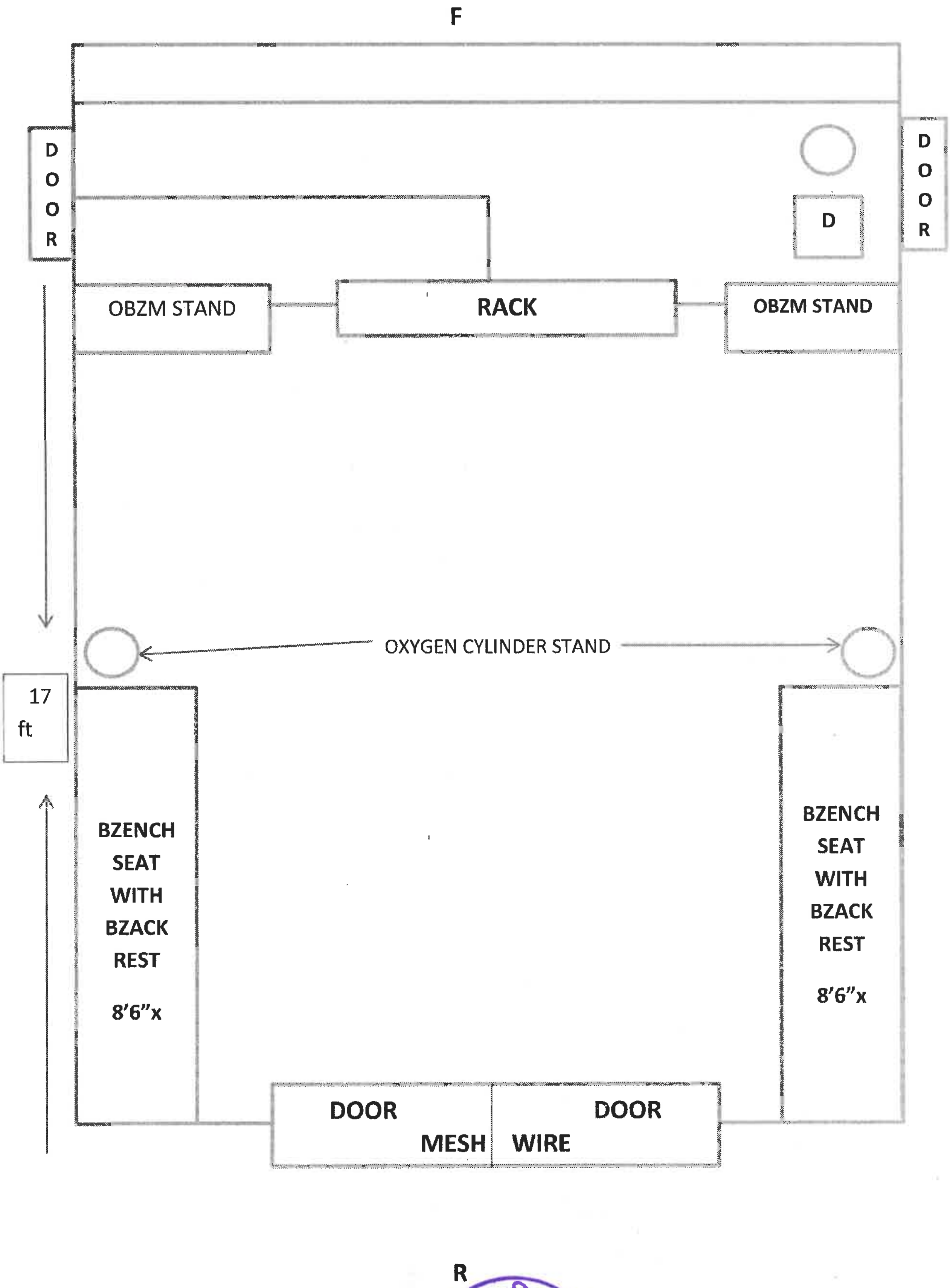

राज्य आपदा प्रतिसाद बल
जयपुर

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 6 पर अंकित आईटम **Safety cone with tape** :- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Safety cone with tape :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :–राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :–185 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :–Safety cone with tape हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Qualitative Requirements	Picture of Equipment
1. Traffic cones should be made by suitable & durable UV unbreakable plastic, 2.The base of cone should be heavy rectangle to provide stand alone Stability with conical body. 3.Height not less than 2.5 ft. 4. Painted with orange fluorescent paint with retro reflective strip of 1 to 2 inch width around the conical body at suitable height. 5. Weight (Kg) :-2 to 2.5 KG 6. High Visibility. Easy To Carry and Store. Usable Under All Weather Conditions. 7. Suitable Size of 2.5 inch width and 100 meter long Tape to Connect cones with wording caution"WORK IN PROGRESS" / "DANGER" (fluorescent colour) on it.	

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी

बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।

3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 7 पर अंकित आईटम **NBC FIRST AID KIT TYPE-A:-** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

NBC FIRST AID KIT TYPE-A :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 08नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– NBC FIRST AID KIT TYPE-A हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

NBC FIRST AID KIT TYPE-A

SPECIFICATION	Picture of Equipment
(JSS NO. 6545-02:2017)	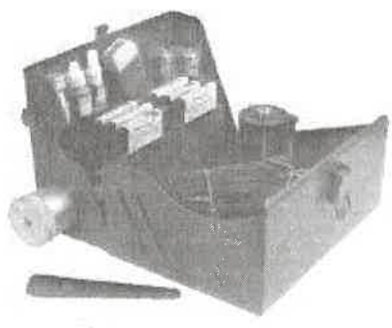

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।

4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 8 पर अंकित आईटम **Telescopic Ladder 35 Ft** क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Telescopic Ladder 35 Ft :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :–राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :–08 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :–**Telescopic Ladder 35 Ft** हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Telescopic Ladder 35 Ft :-

Material Grade	MS
Availability of Railing above the Shelves	Yes
Quality of Paint on the Trolley must be in accordance with latest IS for paints	Yes
Caster Material	PU
Finishing of surface edge	Free from sharp edges and rounded edge/corner
Length	35Ft
Width(cm)	40-50
Powder Coating on Metallic Frame	Yes
Load carrying capacity of the trolley (kg)	200-300

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 9 पर अंकित आईटम Mpd 13 mm Red:- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Mpd 13 mm Red :– के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 08 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– Mpd 13 mm Red हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

MPD 13 MM (RED) :-

S.N.	SPECIFICATION	Picture of Equipment
1	Making:- By steel hard material,	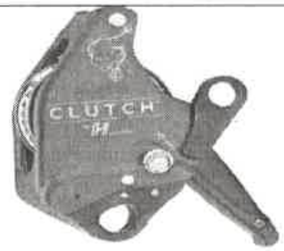
2	Certification:-NFPA certified	
3	Load bearing:- 250 to300 Capacity(kg)	
4	Function :-Easy to handle	
5	Working :-Faster rigging with lower risk	

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।

3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 10 पर अंकित आईटम **Extension Cord System 8 MM Dia 100 Metres Long**:- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Extension Cord System 8 MM Dia 100 Metres Long :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 16 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :– 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– Extension Cord System 8 MM Dia 100 Metres Long हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Extension CordSystem 8 mm dia 100 meter Long :-

Qualitative Requirements	**Picture of Equipment**
a) Type :-With one 15 amp & two 5 amp switch socked fixed on wheel of diameter 1 feet with handle. b) Handle :- Insulated handle of 6" to provide manual grip c) Cord : -PVC wire 8 mm (In 2 core),100 meter length with 2//3 pinplug, with wrapping arrangement on wheel.	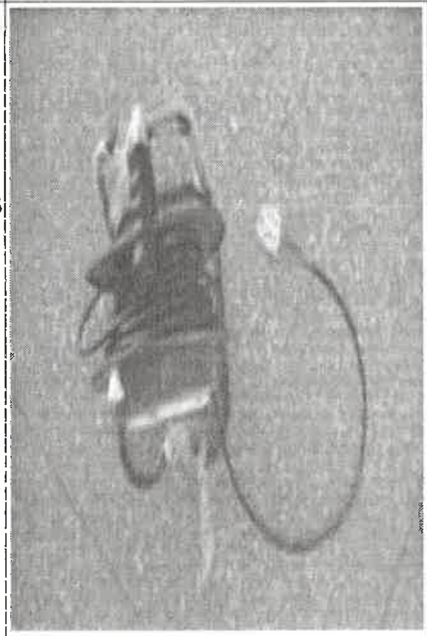

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 11 पर अंकित आईटम **Hand Held Detector** :- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Hand Held Detector :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :– राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 06 नग(Accessories with per set- CBRN Mask-10, CBRN canister-20, CBRN Gloves-10 pairs, CBRN Shoes-10 pairs)

(ग) कुल सप्लाई अवधि :– 60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– Hand Held Detector हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Specification Of Hand Held Detector

PURPOSE	The Hand Held Gas Detector (HHGDs) is meant for use by the First Responder in making quick assessment of availability of flammable/combustible gases and oxygen concentrations and life threatening concentrations of the poisonous/irritant/toxic vapors/gases in the operational area and shall be designed to facilitate display of data on LCD screen along with simple button operation.
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
1.	The Hand Held Gas Detectors (HHGDs) shall have following technical parameters:-
	Size:- Single hand operation, small and compact. Case material used for case should be impact-resistant, rugged, non-corrosive composite material so as to prevent spark generation with built in concussion proof boot.
	Sampling Device:-Inbuilt facility to collect samples from a minimum distance of 06 m.
	Communication Port:-Removable memory card or USB using direct contact for downloading data on a personal computer.
	Audible Alarm Intensity: Shall not be less than 90 dB at a distance of 1 meter. The detector shall have Visual Alarm Bar, so that alarm lights are visible from all angles and shall also be equipped with an Internal Vibrator Alarm for high noise areas. The alarms should be LOW, TEA, HIGH, STEL as applicable for the

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

gases.

Display Screen:- LCD Display with backlight and gas readings minimum 5 mm high font size.

No of Gases detected simultaneously: 5 gases including Oxygen, combustibles, hydrogen sulphide, carbon monoxide & chlorine with range as under.

Specifications gases	Std measuring Range	resolution	Tolerance limit for Inlet concentration of gas
Oxygen	0-25%	0.1%	± 10.0%
Combustible	O-100%LEL	1.0LEL	± 10.0%
Hydrogen sulphide	0-100 ppm	1.0 ppm	± 10.0%
Carbon monixide	0-900 ppm	1.0 ppm	± 10.0%
Chlorine (cl2)	o-10 ppm	0.1 ppm	± 10.0%

Weight:-Upto 600 gms.

Power sources:-Re-chargeable battery pack for min 08 hrs operation (with sampling pump) along with charger unit.

ACCESSORIES:-Each detector should be supplied rechargeable batteries with spare batteries (one set) so that the user can use the detector for a longer duration (i.e. when the rechargeable battery is exhausted) and can also be able to use this additional battery pack for minimumm 8 hrs. The user should be able to change be able to change the battery pack in hazardous conditions. The other accessories should include sufficient length of flexible sampling hose with water and dust filters. All accessories for the data downloading on to a personal computer with software and hardware should be provided.

WARRANTY/CALIBRATION: The set shall carry warranty for not less than 2 years including sensors. The supplier has to provide ON-SITE calibration of the detector once every 6 months (i.e. total 4 calibrations-at the end of 6 months, 12 months, 18 months and 24 months respectively). The charges for this shall be mentioned in the price bid.

APPROVALS:- The Hand Held Gas Detector shall carry certification for use in the class-I Hazardous area, ATEX class-I and should also be certified intrinsically safe or certified by chief controller of Explosive, Nagpur (CCOE).

TECHNICAL EVALUATION: The	Design in conformity to EN/DIN/US/UL standards and

evaluation of the Hand Held Gas Detector shall :-	certificate be submitted along with the offer, and
	Meet the requirement as mentioned from Srl. No. 1 to 5 above.
	Simultaneous display of readings of the gases such as % Lower Explosive limit % oxygen concentration and part Per Million toxicity of carbon monoxide, Hydrogen sulphide and chlorine gases.
NOTE TO TENDER:- a) Tenderer are required to bring the following mixture of gases:-	
b)	However the higher concentration gas cylinders shall be made available at location decided by CO SDRF for evaluation of Hand Held Gas Detector.
c)	The mixer of the gases shall be made available from certified/Govt. Agency.
d)	Vendors should bring/furnish the system with due calibration for quality Test.

SN	Gas Name	standard Mixture
1	Oxygen	21%
2	Combustible gases	2.5% LEL
3	Hydrogen sulphide	25 ppm
4	Carbon monoxide	50 ppm
5	Chlorine	10 ppm

1. **Motion Alert: The device should raise an alarm incase the wearer becomes inactive for more than 30 seconds**
2. **Instant alert: The wearer should be able to raise an alarm manually by pressing the panic button on the device**

Accessories

Accessories Item Name	**Parameter**
CBRN Mask	Non Fogging(inner mask cup), Provision of Drinking System, Weight-approx. 600gms, Both Side Mount, Certificate-CSN 136, OEM Compliance
CBRN canister	Should filter all CBRN particles, Filter Thread-EN 148 RD 40X 7", certificate-EN14387
CBRN Gloves	Should not allow CBRN items penetration,Touch screen friendly,AntiBacterial lining, CoolMax technology, Max Thickness-0.55mm,OEM certificate of compliance
CBRN Shoes	No CBRN penetration, Test report of accredited lab, Certificate-UKCA and CE

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भर्रण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 12 पर अंकित आईटम **Personal Decontamination Kit**:- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

Personal Decontamination Kit :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :–राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 24 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :– Personal Decontamination Kit हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

Personal Decontamination Kit:-

Qualitative Requirements	**Picture of Equipment**
(JSS 4230-05: 2013)	

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी

बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।

3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

कार्यालय कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान पुलिस, जयपुर।

टेलीफोन नं. 0141–2759903 ईमेल–**comdt.sdrf@rajpolice.gov.in/comdtt.sdrf.raj.jpr@gmail.com**

परिशिष्ट 'ई'

क्रम संख्या 13 पर अंकित आईटम **MFR Box Medium**:- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 40 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगें:–

MFR Box Medium :–के सम्बन्ध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) एफ.ओ.आर. :–राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय गाडोता जयपुर राजस्थान।

(ख) मात्रा :– 8 नग

(ग) कुल सप्लाई अवधि :–60 दिन

(घ) स्पेसिफिकेशन :–MFR Box Medium हेतु स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार से है:–

MFR Box Medium:-

Qualitative Requirements	**Picture of Equipment**
Material : Fabricated made from thermostatic plastic. b) **Size** :- 15 to 18" x 8 to 10" x 8 to 10" c) **Shape/Arrangement**:- It should have press lock arrangement for its opening. It should have handle centrally located at the top for carrying from one place to another. The inner chamber of the box should have at least 2 trays, one tray fixed at the depth of 4" from the top and the other tray at the depth of 5" from the first tray. This tray should have walls running parallel to the width. The afore said walls should be of similar material as that of tray and its depth/ height should be suitably adjusted for easy sliding. The box should open from top as well as from one of its sides. Box included:-scissor, bite stick, cannula, elasticbandages,roller bandages ,adhesive bandages , triangular bandages and cervical collar etc.	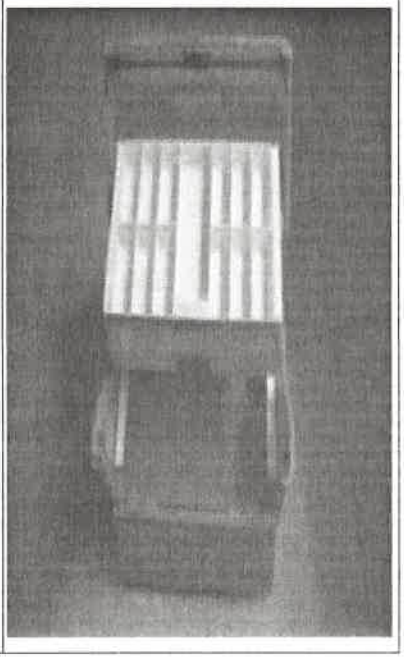

सामान्य शर्ते–

1. निविदा में दर भरते समय किसी प्रकार की शर्त या ऑफर अंकित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली सूचना एवं परिशिष्ट ई में अंकित प्रत्येक आईटम की पूर्ण मात्रा हेतु दर की जावे तथा दर प्रति नग दी जावे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा समान स्पेसिफिकेशन हेतु एक से अधिक दर दी जाती है तो बोली के उद्देश्य से न्यूनतम दर को गणना में लिया जावेगा।
3. उपकरण का डेमोस्ट्रेशन निविदा खुलने के तीन दिवस में करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसकी पालना फर्म को आवश्यक रूप से करनी होगी।
4. उपरोक्त आईटम की गारण्टी/वारण्टी 01 वर्ष की होगी।
5. उपकरण की दर मय एसेसरीज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अंकित की जावे।
6. उपकरण के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज निविदा के साथ दिये जावें।
7. सप्लाई के समय माल का निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या अति. महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ, राज0 जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
8. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियो को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैन्यूअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनो उपलब्ध करानी होगी।
9. निरीक्षण प्रभार यदि कोई हो तो आरम्भ में सप्लायर द्वारा निरीक्षणकर्ता को दिया जावेगा तथा यदि निरीक्षण में माल सही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार का पुनर्भरण विभाग द्वारा सप्लायर को कर दिया जावेगा। यदि माल सही नही पाया गया तो निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा देय नही होगा।
10. निर्माता कम्पनी के राज्य में उपलब्ध सर्विस केन्द्रो की सूची निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

(अवनीश कुमार शर्मा)
कमाण्डेंट,
राज्य आपदा प्रतिसाद बल,
राजस्थान, जयपुर।

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)